न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 261/18 **निर्णय दिनांकः 11.10.2018**

1. रामधन पुत्र रामकुमार जाति अहीर निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 28—09—1999
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री नरेन्द्र गौड़, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 28—09—1999 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटनशुदा रकबा बिना सूचना के खारिज कर दिया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने विशेष श्रेणी में आवंटन हेतु उपनिवेशन तहसील पूगल

में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र की तमाम जॉच होने के पश्चात् आवंटन का पात्र मानते हुए सलाहकार समिति की राय से दिनांक 30—08—1996 को 14 एडी के मुरब्बा नम्बर 33/58 में 24.10 बीघा अनकमाण्ड भूमि का पात्र मानते हुए आवंटन किया गया तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। अपीलांट द्वारा आराजी जैर का कब्जा प्राप्त कर लिया गया तथा इसी आधार पर अपीलांट के नाम से उक्त भूमि का खाता खोला गया। आवंटन पश्चात् अपलांट द्वारा निर्धारित राशि की 35 प्रतिशत राशि भी खजानाराज में जमा करवा दी गई तथा वादगत् भूमि का कब्जा अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को प्रदान कर दिया गया। तभी से वादगत् भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को किया गया आवंटन बिना सूचना के व नोटिस दिये दिनांक 28—09—199 को किश्तों के अभाव का नोट लगाकर खारिज कर दिया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। उक्त आदेश भी आवंटन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलांट का आवंटन बिना सूचना के खारिज किया गया है

इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है, जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28—09—1999 के विरूद्व अपील दिनांक

19—06—18 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 28—09—1999 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 19—06—1999 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा विशेष श्रेणी के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर प्रार्थना पत्र की तमाम जॉच होने के पश्चात् आवंटन का पात्र मानते हुए सलाहकार समिति की राय से दिनांक 30—08—1996 को 14 एडी के मुरब्बा नम्बर 33/58 में 24.10 बीघा भूमि का पात्र मानते हुए आवंटन किया गया तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् निर्धारित राशि की 35 प्रतिशत राशि जरिये चालान संख्या 358 दिनांक 04—12—1996 राशि 15522/— खजानाराज में जमा करवा दी गई। जिसका नोट सेल रजिस्टर में अंकित भी है।

(3) अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को आवंटनशुदा भूमि खारिज करने से पूर्व कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। जबकि न्याय का प्रतिपादित सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सूना जाना आवश्यक है।

(4) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आवंटनशुदा भूमि बिना सुने खारिज की गई जिसका नोट स्थाई आवंटन विवरण में अंकित किया हुआ है। जबकि अदालत मातहत की पत्रावाली में अपीलाधीन आदेश का कोई अंकन होना प्रतीत नहीं होता है।

(5) चूंकि वर्तमान में आराजी जैर अन्य किसी को आवंटनशुदा भूमि है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश है।

7. अतः पैरा संख्या 6 के मद संख्या 1 ता 5 में वर्णित विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़, मुकाम बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28—09—1999 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पूर्व में जमा राशि का समायोजन करते हुए पात्रता अनुसार अन्यत्र भूमि उपलब्ध होने पर भूमि आवंटन की कार्यवाही नियमानुसार की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 11.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर